रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 476] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 26, 2014/फाल्गुन 7, 1935
No. 476] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 26, 2014/PHALGUNA 7, 1935

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 फरवरी, 2014

का.आ. 556(अ).––कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण नियम, 1986 के नियम 3 के साथ पठित कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1985 (1986 का 2) की धारा 4 की उप- धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा, सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (जिसे एतदपश्चात एपीडा कहा गया है) के निम्नलिखित सदस्यों के रूप में नियुक्त करती है और इस प्रयोजनार्थ पूर्ववर्ती वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 12 अगस्त, 1986 की अधिसूचना सं. का.आ. 486(अ) में आगे और निम्नलिखित संशोधन करती है; अर्थात, -

उक्त अधिसूचना में,

(क) क्रमांक 1 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रमांक और प्रविष्टियों को रखा जाएगा; अर्थात, -

1.	श्री असित कुमार त्रिपाठी, संयुक्त सचिव वाणिज्य विभाग	अध्यक्ष (दिनांक 5.10.2013 से दो वर्षों के अवधि के लिए अथवा उनके एपीडा में अध्यक्ष बने रहने तक, जो भी पहले हो)

"धारा (4) की उप-धारा (4) के खण्ड (क) के अधीन नियुक्त

(ख) क्रमांक 35 और 36 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रमांकों और प्रविष्टियों को रखा जाएगा; अर्थात, -

35.	श्री राशिद कदीमी, मांस, कुक्कट तथा डेयरी उत्पाद उद्योग अखिल भारतीय मांस एवं पशुधन निर्यातक एसोसिएशन के अध्यक्ष	सदस्य इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से
36.	श्री जगदीश सैनी, 967, कमला नेहरू नगर, टेलीग्राफ गेट नं. 4, जबलपुर-482002 मध्य प्रदेश	सदस्य इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से''

''धारा (4) की उप-धारा (4) के खण्ड (ज) के अधीन नियुक्त

[फा. सं. 6/17/2010–ईपी (एग्री-IV)]

अजित बी. चव्हाण, उप–सचिव

टिप्पणी : मुख्य अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण में का. आ. 486(अ), दिनांक 12 अगस्त, 1986 द्वारा प्रकाशित की गई थी एवं तत्पश्चात निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा उसमें संशोधन किए गए अर्थात :-

(i) का. आ. 851(अ), दिनांक 20 नवम्बर, 1986
(ii) का. आ. 50(अ), दिनांक 3 फरवरी, 1987
(iii) का. आ. 757(अ) दिनांक 12 अगस्त, 1988
(iv) का. आ. 458(अ), दिनांक 16 जून, 1989
(v) का. आ. 808(अ) दिनांक 22 अक्तूबर, 1990
(vi) का. आ. 39(अ), दिनांक 22 जून, 1991
(vii) का. आ. 99(अ), दिनांक 14 फरवरी, 1991
(viii) का. आ. 827(अ), दिनांक 16 दिसम्बर, 1991
(ix) का. आ. 858(अ), दिनांक 24 नवम्बर, 1992
(x) का. आ. 1050(अ), दिनांक 31 दिसम्बर, 1993
(xi) का. आ. 531(अ), दिनांक 18 जुलाई, 1994
(xii) का. आ. 346(अ), दिनांक 19 अप्रैल, 1995
(xiii) का. आ. 668(अ), दिनांक 26 जुलाई, 1995
(xiv) का. आ. 228(अ), दिनांक 21 मार्च, 1997
(xv) का. आ. 683(अ), दिनांक 26 सितम्बर, 1997
(xvi) का. आ. 146(अ), दिनांक 24 फरवरी, 1998
(xvii) का. आ. 805(अ), दिनांक 11 सितम्बर, 1998
(xviii) का. आ. 288(अ), दिनांक 26 अप्रैल, 1999
(xix) का. आ. 794(अ), दिनांक 27 सितम्बर, 1999
(xx) का. आ. 39(अ), दिनांक 12 जनवरी, 2000
(xxi) का. आ. 417(अ), दिनांक 26 अप्रैल, 2000
(xxii) का. आ. 156(अ), दिनांक 22 फरवरी, 2001
(xxiii) का. आ. 482(अ), दिनांक 29 मई, 2001
(xxiv) का. आ. 534(अ), दिनांक 10 मई, 2002
(xxv) का. आ. 866(अ), दिनांक 10 जुलाई, 2003
(xxvi) का. आ. 1353(अ), दिनांक 25 नवम्बर, 2003

(xxvii) का. आ. 1385(अ), दिनांक 23 सितम्बर, 2005

(xxviii) का. आ. 365(अ), दिनांक 20 मार्च, 2006

(xxix) का. आ. 1087(अ), दिनांक 11 जुलाई, 2006

(xxx) का.आ. 588(अ), दिनांक 17 अप्रैल, 2007

(xxxi) का.आ. 1780 दिनांक 16 अक्तूबर, 2007

(xxxii) का.आ. 52(अ), दिनांक 9 जनवरी, 2008

(xxxiii) का.आ. 2135(अ), दिनांक 29 अगस्त 2008

(xxxiv) का.आ. 2710(अ), दिनांक 18 नवम्बर, 2008

(xxxv) का.आ. 821(अ), दिनांक 23 मार्च, 2009

(xxxvi) का.आ. 2699(अ), दिनांक 27 अक्तूबर, 2009

(xxxvii) का.आ. 31(अ), दिनांक 07 जनवरी, 2010

(xxxviii) का.आ. 820(अ), दिनांक 9 अप्रैल, 2010

(xxxix) का.आ. 942(अ), दिनांक 23 अप्रैल, 2010

(xl) का.आ. 2066(अ), दिनांक 23 अगस्त, 2010

(xli) का.आ. 216(अ), दिनांक 27 जनवरी, 2011

(xlii) का.आ. 607(अ), दिनांक 21 मार्च, 2011

(xliii) का.आ. 1804(अ), दिनांक 5 अगस्त, 2011

(xliv) का.आ. 2021(अ), दिनांक 30 अगस्त, 2011

(xlv) का.आ. 47(अ), दिनांक 9 जनवरी, 2012

(xlvi) का.आ. 1028(अ), दिनांक 7 मई, 2012

(xlvii) का.आ. 1254(अ), दिनांक 29 मई, 2012

(xlviii) का.आ. 1543(अ), दिनांक 9 जुलाई, 2012

(xlix) का.आ. 2564(अ), दिनांक 29 अक्तूबर, 2012

(l) का.आ. 1785(अ), दिनांक 21 जून, 2013

(li) का.आ. 34(अ), दिनांक 7 जनवरी, 2014

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th February, 2014

S.O. 556 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 4 of the Agricultural and Processed Food Products Eport Development Authority Act, 1985 (2 of 1986), read with rule 3 of the Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority Rules, 1986, the Central Government hereby appoints the following members of the Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority (herein after referred to as APEDA) for a period of two years and for that purpose makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Commerce number S.O. 486(E), dated the 12th August, 1986, namely:-

In the said notification,

(a) for serial number 1 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:-

1.	Shri Asit Kumar Tripathy Joint Secretary, Department of Commerce	***Chairman*** (with effect from 05.10.2013 for a period of two years or till he ceases to be the Chairman of APEDA, whichever is earlier)

"Appointed under clause (a) of sub-section (4) of section (4)

(b) for serial numbers 35 and 36 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall respectively be substituted, namely:-

35.	Shri Rashid Kadimi, Meat, Poultry and Dairy Products Industries, President of All India Meat and Livestock Exporters Association.	***Member*** With effect from the date of publication of this notification.
36.	Shri Jagdish Saini, 967, Kamla Nehru Nagar, Telegraph, Gate No.4, Jabalpur – 482002 Madhya Pradesh	***Member*** With effect from the date of publication of this notification."

"Appointed under clause (h) of sub-section (4) of section (4)

[F. No. 6/17/2010-EP (Agri. IV)]

AJIT B. CHAVAN, Dy. Secy.

Note : The principal notification was published in the Gazette of India vide S. O. 486(E) dated 12th August 1986 and subsequently amended by the following notifications, namely :-

(i) S. O. 851(E), dated the 20th November, 1986;

(ii) S. O. 50(E), dated the 3rd February, 1987;

(iii) S. O. 757(E), dated the 12th August, 1988;

(iv) S. O. 458(E), dated the 16th June, 1989;

(v) S. O. 808(E), dated the 22nd October, 1990;

(vi) S. O. 39(E), dated the 22nd June, 1991;

(vii) S. O. 99(E), dated the 14th February, 1991;

(viii) S. O. 827(E), dated the 16th December, 1991;

(ix) S. O. 858 (E), dated the 24th November, 1992;

(x) S. O.1050(E), dated the 31st December, 1993;

(xi) S. O. 531(E), dated the 18th July, 1994;

(xii) S. O. 346(E), dated the 19th April, 1995;

(xiii) S. O. 668(E), dated the 26th July, 1995;

(xiv) S. O. 228(E), dated the 21st March, 1997;

(xv) S. O. 683(E), dated the 26th September, 1997;

(xvi) S. O. 146(E), dated the 24th February, 1998;

(xvii) S. O. 805(E), dated the 11th September, 1998;

(xviii) S. O. 288(E), dated the 26th April, 1999;

(xix) S. O. 794(E), dated the 27th September, 1999;

(xx) S. O. 39(E), dated the 12th January, 2000;

(xxi) S. O. 417(E), dated the 26th April, 2000;

(xxii) S. O. 156(E), dated the 22nd February, 2001;

(xxiii) S. O. 482(E), dated the 29th May, 2001;

(xxiv) S. O. 534(E), dated the 10th May, 2002;

(xxv) S. O. 866(E), dated the 10th July, 2003;

(xxvi) S.O. 1353(E), dated the 25th November 2003;

(xxvii) S.O. 1385(E), dated the 23rd September 2005;

(xxviii) S.O. 365(E), dated the 20th March 2006;

(xxix) S.O. 1087(E), dated the 11th July 2006;

(xxx) S.O. 588(E), dated the 17th April 2007;

(xxxi) S.O. 1780(E), dated the 16th October 2007;

(xxxii) S.O. 52(E), dated the 9th January 2008;

(xxxiii) S.O. 2135(E), dated the 29th August 2008;

(xxxiv) S.O. 2710(E), dated the 18th November 2008;

(xxxv) S.O. 821(E), dated the 23rd March, 2009;

(xxxvi) S.O. 2699(E), dated the 27th October, 2009;

(xxxvii) S.O. 31(E), dated the 7th January, 2010;

(xxxviii) S.O. 820(E), dated the 9th April, 2010;

(xxxix) S.O. 942(E), dated the 23rd April, 2010;

(xl) S.O. 2066(E), dated the 23rd August, 2010;

(xli) S.O. 216(E), dated the 27th January, 2011;

(xlii) S.O. 607(E), dated the 21st March, 2011;

(xliii) S.O. 1804(E), dated the 5th August, 2011;

(xliv) S.O. 2021(E), dated the 30th August, 2011;

(xlv) S.O. 47(E), dated the 9th January, 2012;

(xlvi) S.O. 1028(E), dated the 7th May, 2012;

(xlvii) S.O. 1254(E), dated the 29th May, 2012;

(xlviii) S.O. 1543(E), dated the 9th July, 2012;

(xlix) S.O. 2564(E), dated the 29th October, 2012;

(l) S.O. 1785(E), dated the 21st June, 2013 and

(li) S.O. 34(E), dated the 07th January, 2014.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.